राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3124/2022

डॉ. सतीश शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. संयुक्त प्रशासनिक शासन सचिव, चिकित्सा (ग्रुप–2) एवं स्वास्थ्य और पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण निदेशालय, जयपुर (राज.)।
4. डॉ. रोहित दुसाद, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नीमज, जिला पाली (राज.) में निरंतर कार्यरत।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.08.2022
आदेश की दिनांक : 17.10.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कमलेश शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– एम. एस. काला, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा संशोधन अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर बहस सुनी तथा शामिल मिसल कर रिकॉर्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर ई.एस. आई. डिसपेन्सरी, जैतपुरा, जिला जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 05.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से सी.एच.सी. निमाज, जिला पाली किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.12.2020 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया। आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के

विपरीत जाकर किया गया है। उसका स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के किया गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की प्रारम्भिक नियुक्ति दिनांक 17.12.2020 को हुई थी और उसका स्थानान्तरण होने से पूर्व परिवीक्षा काल भी पूर्ण नहीं हुआ। फिर भी उसे अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित कर दिया गया। उनका कथन है कि अनुलग्नक–4 राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 22क में यह प्रावधान है कि नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारी को तीन वर्ष की सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र में देनी होंगी। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने रामनिवास सैनी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2021 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें परिवीक्षा काल पूर्ण होने से पहले किए गए स्थानान्तरण आदेश को स्थगित किया गया। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का पदस्थापन भी परिवीक्षा काल पूर्ण होने से पहले किया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 05.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरंतर चिकित्सा अधिकारी के पद पर ई.एस.आई. डिसपेन्सरी, जैतपुरा, जिला जयपुर में कार्य करने दिया जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर ई.एस.आई. डिसपेन्सरी, जैतपुरा, जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of*

malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

जहाँ तक अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2021 में दिए गए स्थगन आदेश का प्रश्न है, उक्त मामले में अपीलार्थी के स्वयं का परिवीक्षा काल पूर्ण नहीं हुआ था जबकि वर्तमान मामले में अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2014 में हुई है। इस प्रकार उक्त मामले का तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में हम कोई बल होना नहीं पाते हैं।

जहाँ तक अनुलग्नक–4 राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 2000 के नियम 22क के नियम का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम, 1963 के संशोधित नियम 2011 के अंतर्गत की गई है जबकि अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा नियम, 2000 का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार नियम 2000 के बाद राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधन किया जा चुका है, जिसके तहत निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की नियुक्ति की गई है। इस प्रकार अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुलग्नक–4 में हम कोई बल होना नहीं पाते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(एम. एस. काला)
सदस्य